(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2399–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 195/97–98/निगरानी.

नरेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम
निवासी ग्राम पिछोर
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

गुलाब सिंह पुत्र चिरौंजीलाल
निवासी ग्राम शंकरपुर
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम शंकरपुर स्थित सर्वे कमांक 37/1 रकबा 1.097 हेक्टेयर तथा सर्वे कमांक 37/2 रकबा 0.627 हेक्टेयर कुल रकबा 1.724 हेक्टेयर भूमि का व्यवस्थापन तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 44/91–92/अ–19 आदेश दिनांक 2–8–93 द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया था । उक्त व्यवस्थापन प्रकरण में भूमि का व्यवस्थापन, अनियमित और अपूर्ण जांच पर आधारित होने से दोषपूर्ण होने के कारण नायब तहसीलदार वृत पिछोर तहसील डबरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक

30–8–97 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–9–2005 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विधिवत जांच किये एवं आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना व्यवस्थापन निरस्त करने का जो आदेश दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्वीकार किया है ।

(2) अशासकीय व्यक्तियों के बीच विवाद में स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन नहीं होकर संबंधित पक्षकार के आवेदन पत्र के आधार पर होगा, जिसके लिए संहिता की धारा 51(3) में 90 दिन की समय–सीमा निर्धारित है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 51(3) के उपबंधों के विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

(3) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 में अंकित कारणों के अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारी को पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है ।

(4) आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है, अतः व्यवस्थापन बहाल किया जाये ।

तर्को के समर्थन में 1971 आर.एन. 52 (हाई कोर्ट) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–8–97 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने पुनर्विलोकन की अनुमति नायब तहसीलदार को दी गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए निगरानी निरस्त की गई है कि आवेदक को तहसील न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है, जिसमें किसी प्रकार की कोई

अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर